

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 292]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 जुलाई 2016—आषाढ़ 28, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2016

क्र. एफ-ए-3-38-2016-1-पांच (37).—मध्यप्रदेश वेत अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 70-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में, भाग-दो में,—

अनुक्रमांक 55 के सामने कॉलम दो में मद क्रमांक 205 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“205 माल की पैकिंग के लिये सभी प्रकार के बैग तथा थैले जिनमें एचडीपीई से निर्मित बैग तथा थैले भी सम्मिलित हैं (एलडीपीई/पीपी से बने हुए थैले व बैग, पॉलिथिन बैग, प्लास्टिक बैग और थैलों को छोड़कर) तथा माल की पैकिंग के लिए प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं”.

2. यह अधिसूचना “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2016

क्र. एफ-ए-3-38-2016-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-38-2016-1-पांच (37), दिनांक 19 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 19th July 2016

No. F-A-3-38-2016-1-FIVE-(37).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 70-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in Schedule II of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said Act, in Schedule-II, in Part II against Serial No. 55, in column (2) for item No. 205 and entries relating thereto, following item and entries relating thereto, shall be substituted, namely:—

"205 All kinds of bags and sacks including those made, of HDPE for packing of goods (excluding woven sacks and bags made of LDPE/PP, polythene bags, plastic bags and sacks) and articles of plastics for packing of goods".

2. This notification shall come into force from the date of its publication the "Madhya Pradesh Gazette".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.